COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र.कं 12ए70/09–10

धूलजी आयु 60 वर्ष पिता कनीराम जाति
भोई निवासी भाटपचलाना तह. बड़नगर
जिला उज्जैन

---आवेदक

विरूद्ध

मांगीलाल आयु 74 वर्ष पिता रामेश्वरजी योगी
जाति नाथ निवासीभाटपचलाना तह. बड़नगर
जिला उज्जैन

---अनावेदक

14/3/2014

R-1113-I/14

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायाब तहसीलदार महोदय तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण कं 12ए70/09–10 मे पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20.02.2014 से असंतुष्ट होकर उनके विरूद्ध पुनरिक्षण।

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निम्नलिखित पुनरिक्षण आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है।

408
14/3/2014

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

01. यह कि अधिनस्थ न्यायालय नायाब तहसीलदार महोदय बड़नगर के समक्ष अनावेदक द्वारा ग्राम भाटपचलाना तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के भुमि सर्वे कं 1007/1 रकबा 0.28 हे. पर तहसील न्यायालय के सीमांकन प्रकरण कं 09/अ12/09–10 मे आवेदक का अनावेदक की भुमि रकबा 0.04 हे. अर्थात उत्तर दक्षिण 7 जरीफ की लम्बाई मे बरूख दक्षिण की और पूर्व पश्चिम 10 कड़ी व उत्तर की और 20 कड़ी पर प्रतिवादी का कब्जा पाने पर आवेदक के विरूद्ध कब्जा प्राप्ति हेतु धारा 250 के अन्तर्गत अन्तरिम आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रकरण आवेदक(अनावेदक) की साक्ष हेतु नियत था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अनावेदक की और से बिना किसी अन्तरिम आवेदन पत्र प्रस्तुत किये, दिनांक 20.02.2014 को अनावेदक को आवेदक से अन्तरिम तौर पर विवादीत भुमि का अन्तरिम तौर पर कब्जा दिलाए जाने संबंधी आदेश प्रदान कर दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निम्नलिखित आधारो पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के आधार

01. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधी एवं विधान के विपरित प्रथम दृष्टिया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

नि...2 पर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1113-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से,यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	